

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक), बिहार
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय - विभागान्तर्गत नवनिर्मित राजकीय पोलिटेकनिक, शेखपुरा के परिसर से गुजर रहे 400 KV D/C Biharsharif -Banka Transmission Line को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा शिफ्ट करने से संबंधित सर्वे एवं प्राक्कलन गठित करने के लिए कुल रु. 2,00,000=00 (दो लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, शेखपुरा के पत्रांक-583, दिनांक 21.08.2018 एवं उप महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिहारशरीफ के पत्रांक-169, दिनांक 13.06.2018 के आलोक में विभागान्तर्गत नवनिर्मित राजकीय पोलिटेकनिक, शेखपुरा के परिसर से गुजर रहे 400 KV D/C Biharsharif-Banka Transmission Line को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा शिफ्ट करने से संबंधित सर्वे एवं प्राक्कलन गठित करने के लिए कुल रु. 2,00,000=00 (दो लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृति राशि, वित्तीय वर्ष 2018-19 के राज्य स्कीम बजट के "मुख्य शीर्ष-4202 -शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104-बहुशिल्प, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0102-पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय" (विपत्र कोड 43-4202021040102) के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संस्थान के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी राजकीय कोषागार, शेखपुरा से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. उक्त राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. विमुक्त राशि का व्यय अधिकतम छः (6) माह में कर अभिश्रव सहित BTC-Form-27(C), एवं 2(C) (1) में अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख कोषागार, शेखपुरा को उपलब्ध कराया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह. / -

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) यो. –27/2018–

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) यो. –27/2018–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) यो. –27/2018–

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि – उप महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) यो. –27/2018–

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) यो. –27/2018–

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि – प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) यो. –27/2018–

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –
सरकार के उप सचिव

13/09/18
13/9/18

महाप्रबंधक